

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प01/11/147

दिनांक : 21/11/2011

—: आदेश :-


निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप चिकित्सक को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सक द्वारा अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि उसके नाम के सामने अंकित दिनांक तक एतद्द्वारा अभिवृद्धि प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	आदेश क्रमांक/दिनांक	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि की दिनांक
1.	डा० अवनीश कुमार भारद्वाज	आर-212	122/ 08.09.11	प्रा०स्वा०केन्द्र हनूतपुरा जयपुर	पारिवारिक परिस्थितियों के कारण	4 माह दिनांक 07/01/12

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर को उनकी आई०डी० 1985 दि. 13.01.11 के अंतर्गत
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।